

301

FORM No. III  
फॉर्म अहकाम  
(नियम 26)

Judl./Civil  
Part I-4

26/11/19  
28/1/20  
5/3/20  
7/5/20  
9/11/20  
21/1/21

न्यायालय उपखण्ड सरवरक उपजिला मजिस्ट्रेट

(कायदा 129)

[General Rulse (Civil), Rule 129, Appendix 'B', Form No. 8]

2019 25/3/21  
00226 27/5/21  
29/7/21  
21/9/21  
18/11/22  
12/4/22  
23/06/22

1. नाम अदालत SDO बनेडा

2. नियम मुकदमा 111, 128 CR Act

3. उनवान मुकदमा शा. रायण जाट बनाम वालू जाट वगैर

4. नम्बर व सन् मुकदमा 176/19

5. तारीख दायरा 14/10/19

6. तारीख फैसला फेब्रुअरी 20-5-22

7. तारीख दाखिल होने मुहाफिजखावा 26/11/19

8. अपिल या निगरानी की तारीख फैसला

9. किस्म मिसल या हिस्सा पापुज

10. किस्म रैकर्ड

11. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ किया गया


12. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया

13. (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ किया गया



तारीख हुकम 176 /2019	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.05.2022	<p>पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान फोल्डोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट सरदारनगर पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सरदारनगर जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से पत्थरगढी/सीमांकन से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ोसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। आराजी नम्बर 2842/2, 2842/3 रकबा 07 बीस्वा किस्म क्रमशः गेमु आबादी, गेमु वाणिज्यक होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा</p>	

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर - 176 /2019 राजस्व प्रार्थना पत्र

### उनवान

- 1-4 नारायण, भंवर लाल, नानू, रामकन्या पिता कल्याण जाट निवासी सरदारनगर
- 5- मगनी बेवा कल्याण जाट निवासी सरदारनगर

-प्रार्थीगण

### बनाम

- 1- बालू पिता भूरा जाट निवासी सरदारनगर
- 2- नन्दराम पिता छोगा माली निवासी सरदारनगर
- 3- लादू पिता देबी माली निवासी सरदारनगर
- 4- तहसीलदार बनेड़ा

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

### निर्णय

दिनांक :- 20/05/2022


प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2841, 2841/1, 2842, 2842/2, 2842/3, 2843, 2844/1 व आराजी नम्बर 2840 कुल किता 8 रकबा 5-19 बीघा व 02 बीस्वा के खातेदार काश्तकार हैं। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2841, 2841/1, 2842, 2842/2, 2842/3, 2843, 2844/1 व आराजी नम्बर 2840 कुल किता 8 रकबा 5-19 बीघा व 02 बीस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर संयुक्त खातदारी है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //


प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत आंकिश स्वीकार किया जाकर मौजा सरदारनगर में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् में से आराजी नम्बर 2842/2, 2842/3 रकबा 07 बीस्वा किस्म क्रमशः गेमु आबादी, गेमु वाणिज्यक होने से उक्त आराजियात् को छोड़कर शेष आराजी किता 5 रकबा 5-10 बीघा भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर को 600/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः तहसीलदार बनेड़ा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय सरदारनगर पर सुनाया गया।

  
(अंशुल सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा